



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited
(भारत सरकार का उद्यम)
(A Govt. of India Enterprise)
कैगा स्थल KAIGA SITE



केजीएस अस्पताल, डाकघर: कैगा, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक KGS Hospital, PO: Kaiga, Uttar Kannada Dist., Karnataka-581400
मोबाइल Mobile :9413358493 इंटरकॉम Intercom : 6521, ईमेल E-mail : tusharpdighe@npcil.co.in;
निगम पहचान सं Corporate Identity No. (CIN): U40104MH1987GOI149458 वेबसाइट website: www.npcil.nic.in

कारवार में नैदानिक केंद्र (सी टी स्कैन केंद्र एवं अल्ट्रा सोनोग्राफी केंद्र) को पैनल में शामिल करने के लिए
रुचि की अभिव्यक्ति

**EXPRESSION OF INTEREST FOR EMPANELMENT OF
DIAGNOSTIC CENTRE (CT SCAN CENTRE AND ULTRASONOGRAPHY CENTRE) IN
KARWAR**

ईओआई सं:EOI NO: केजीएसKGS/चिकित्साMED/ईओआईEOI/0009/2026

अनुक्रमणिकाINDEX

क्र.सं. Sl. No.	अनुभागों का विवरण Description of Sections	पृ.सं. Page nos.
1	रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की सूचना Notice Inviting Expression of Interest	2 to 11
2	आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक-I) Application Format (Annexure-I)	12 to 14
3	अनुलग्नक- IV – जाँच सूची Annexure – IV – Check List	15 to 17
4	करार प्रपत्र- सूचनार्थ एवं बाद में प्रस्तुत करने हेतु (संलग्नक- V) Agreement proforma - for information and to be submitted later (Annexure-V)	18 to 28

कारवार में नैदानिक केंद्र (सी टी स्कैन केंद्र एवं अल्ट्रा सोनोग्राफी केंद्र) को पैनल में शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने (ईओआई)की सूचना।

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST FOR EMPANELMENT OF DIAGNOSTIC CENTRE (CT SCAN CENTRE AND ULTRASONOGRAPHY CENTRE) IN KARWAR

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), कैगा स्थल, कैगा स्थल में अपने सीएचएसएस लाभार्थियों और उनके आश्रितों के लिए योग्य नैदानिक केंद्र / केंद्रों को रेडियोलॉजिकल नैदानिक सुविधाएं (सी टी स्कैन तथा यूएसजी) प्रदान करने हेतु नामिकायन करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति(ईओआई)आमंत्रित करता है।सीटी स्कैन के साथ -साथ अल्ट्रासाउंड दोनों सुविधाओं वाला कोई नैदानिक केंद्र अथवाकेवल सीटी स्कैन या केवल अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधा वाला कोई नैदानिक केंद्र ईओआईभर सकता है।

Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), Kaiga Site Invites Expression of Interest (EOI) from eligible Diagnostic Centre/ centers for empanelment to extend Radiological Diagnostic facilities (CT Scan and USG) for the CHSS beneficiaries and their dependents of Kaiga Site. The EOI can be filled by **EITHER** any Diagnostic Centre having the facilities of carrying out; CT scan as well as Ultrasonography **OR** any Diagnostic Centre having the facilities of only CT Scan or only Ultrasonography.

एनपीसीआईएल कैगा दोनों (सी टी स्कैन तथा अल्ट्रासोनोग्राफी) सुविधाओं वाला एकल नैदानिक केंद्र या सी टी स्कैन तथा अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधाओं वाला अलग -अलग नैदानिक केंद्रों को नामिकायन करने का अधिकार रखता है।

NPCIL Kaiga reserves the rights to either empanel a single Diagnostic Centre having both the facilities (CT Scan and Ultrasonography) or can empanel separate Diagnostic Centres having CT Scan and Ultrasonography facilities.

ईओआईदस्तावेज़ को हमारी वेबसाइट : www.npcil.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा इसकी प्रतिहमारे चिकित्सा अधीक्षक, केजीएस चिकित्सालय, कैगा टाउनशिप, डाकघर:कैगा, ज़िला उत्तर कन्नड़ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

The EOI document may be downloaded from our Website:www.npcil.nic.in or copy can be collected from the office of Medical Officer In-charge, KGS Hospital, Kaiga Township, PO: Kaiga, Distt. Uttar Kannada.

विधिवत रूप से भरे गए दस्तावेज़ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने चाहिए या व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा अधीक्षक, केजीएस चिकित्सालय, कैगा टाउनशिप,पोस्ट ऑफिस:कैगा, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक 581400 –के कार्यालय में सीलबंद लिफ़ाफे में दिनांक **27.08.2026** को **19:00** बजे तक प्रस्तुत करें।

The duly filled in documents must be sent by speed post or submitted personally in sealed envelope in the office of Medical Officer In-charge, KGS Hospital, Kaiga Township, PO: Kaiga, Distt. Uttar Kannada, Karnataka -581400 latest by **27.08.2026** up to **19.00 hours**.

इसके अतिरिक्त ईओआई से संबंधित कोई सूचना/शुद्धिपत्र/अनुशेष, आदि को <https://www.npcil.nic.in> में अपलोड किया जाएगा। कृपया इन वेब पोर्टलों को देखते रहें।

Any further information/corrigendum/addendum etc. pertaining to EOI will be uploaded on <https://www.npcil.nic.in>. Please keep referring these web portals.

**चिकित्सा अधिकारी प्रभारी Medical Officer/In-Charge
केजीएस चिकित्सालय KGS Hospital**

दावात्यागकर्ता DISCLAIMER

यह रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आनेवाले भारत सरकार के उद्यमन्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा जारी की गई है।

This Expression of Interest (EOI) is issued by the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), Government of India Enterprises under Department of Atomic Energy.

यह ईओआई केवल कारवार में रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों के लिए ही है, जो ईओआई दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप अपने प्रत्यय (क्रेडेंशियल) पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। हालांकि इस ईओआई में दी गई जानकारी सद्भावनापूर्वक तैयार की गई है, लेकिन इसका तात्पर्य व्यापक नहीं है और न ही इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है।

This EOI is meant only for the Radiological Diagnostic Centre/ Centres in Karwar which intend to submit their credentials in line with the terms and conditions set forth in EOI document. While the information in this EOI has been prepared in good faith, it is not and does not purport to be comprehensive or to have been independently verified.

इस ईओआई में दी गई जानकारी संक्षिप्त है। प्रत्येक इच्छुक आवेदक को इस ईओआई में दी गई जानकारी का स्वयं विश्लेषण करें या इसमें मौजूद किसी भी अशुद्धि को ठीक करें और उन्हें कारवार में रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों के लिए प्रस्तावित पैनल में स्वयं जांच करने की सलाह दी जाती है।

The information in this EOI is selective. Each interested applicant must conduct its own analysis of the information contained in this EOI or to correct any inaccuracies therein that this EOI may contain and is advised to carry out its own investigation into the proposed empanelment for Radiological Diagnostic Centre/ Centers in Karwar.

कारवार में रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों के इच्छुक अनुलग्नक-I में उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

The interested Radiological Diagnostic Centre/Centers in Karwar may apply in the prescribed Application Format provided at Annexure-I.

इस ईओआई के अनुलग्नक-V में उपलब्ध करार के अनुसार चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने हेतु समस्त शर्तों के विवरण निहित है जिसमें एनपीसीआईएल कैगा स्थल एवं कारवार में रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों के बीच, करार पर हस्ताक्षरित किया जाएगा। करार में दर्शाई गई शर्तों एवं नियमों में कोई विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

An agreement as provided at Annexure-V of this EOI detailing all terms and conditions for availing the medical facility shall be signed between the NPCIL Kaiga Site and the Radiological Diagnostic Centre/ Centers. No deviation to terms and conditions indicated in the agreement shall be accepted.

1. एनपीआईएल कैगा स्थल – एक परिचय NPCIL KAIGASITE – AN INTRODUCTION:

एनपीसीआईएल, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र (सीपीएसई) का एक अग्रणी उद्यम है, जो कि भारत में एक ही स्थान पर नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा अपग्रेडेशन, संयंत्र आयु विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन एवं डिकमीशनिंग की व्यापक क्षमता रखता है।

NPCIL, a premier Central Public Sector Enterprise under the Department of Atomic Energy, Government of India has comprehensive capability in all facets of nuclear technology namely, Site Selection, Design, Construction, Commissioning, Operation, Maintenance, Renovation, Modernization & Up-gradation, Plant Life extension, Waste Management and Decommissioning of Nuclear Reactors in India under one roof.

1.1 कैगा साइट के बारे में: ABOUT KAIGA SITE:

कैगा साइट कारवार नगर से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास स्थित कदरा बांध के ऊपरी हिस्से में 13 किलोमीटर और हुबली-धारवाड़ और बेलगाम से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

Kaiga Site is located about 55KM east of Karwar town, 13 KM on the upper side of Kadra Dam situated near the River Kali Uttar Kannada District Karnataka State and 150 Kms from Belgaum.

1.2 कैगा टाउनशिप में कैगा साइट का अपना एक चिकित्सालय है। यह लगभग 8500 लाभार्थियों को सेवा प्रदान करता है। हमारे चिकित्सालय में सभी चिकित्सा और कुछ शल्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ रोगियों को रेडियोलॉजिकल नैदानिक सुविधाओं हेतु सी टी स्कैन एवं यूएसजी के लिए रेफर किया जाना आवश्यक होता है, जो केजीएस चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं हैं। Kaiga site has its own hospital at Kaiga Township. It caters to around 8500 beneficiaries. All medical and some surgical facilities are available at our hospital. Some of the patients are required to be referred to the Radiological diagnostic facilities for CT Scan & USG which are not available in KGS Hospital.

1.3 हम कारवार में रेडियोलॉजिकल नैदानिक सुविधाओं हेतु सी टी स्कैन तथा यूएसजी के लिए वरियता देते हैं। We prefer Radiological Diagnostic Facility for CT Scan and USG in Karwar.

2.0 निबंधन एवं शर्तें TERMS & CONDITIONS:

सी टी स्कैन तथा यूएसजी को नामिकायन निम्नलिखित निर्धारित मानदंडों पूरा करने के आधार पर होगा: The empanelment of CT Scan Centre and USG center will be based on meeting the following specified criteria:

सी टी स्कैन केंद्र हेतु मानदंड CRITERIA FOR CT SCAN CENTRE:

1. संपूर्ण शरीर सी टी स्कैन वाला केंद्र होना चाहिए। The center should have whole body CT scan.
2. यह आईआरबी दिशानिर्देशों के अनुसार भवन में स्थित होना चाहिए। It should be housed in building as per AERB guidelines.
3. पर्याप्त कार्य स्थल होना चाहिए। There should be sufficient work space.
4. प्रतीक्षा स्थल होना चाहिए जो विकिरण क्षेत्र से अलग हो। There should be waiting area which should be separate from the radiation area.
5. कपड़े बदलने के कक्ष का प्रावधान होना चाहिए। There should be provision for changing room.
6. जिसमें विकिरण संरक्षात्मक उपकरण के प्रावधान जैसे स्क्रीन, लीड एप्रन, थायरॉयड एवं गोनाड्स संरक्षात्मक शील्ड होनी चाहिए। There should be provision of Radiation Protective devices like Screen, Lead Apron, Thyroid & Gonads protective shield.
7. विभेदक माध्यम से होने वाली किसी भी प्रकार की एलर्जी से होने वाली प्रतिक्रिया के उपचार /से निपटने हेतु रोगी को पुनर्जीवित करने वाले उपकरण जैसे बॉयली अप्रैटस, सक्शन/सक्शन मशीनें, आपातकालीन दवाइयां होनी चाहिए। There should be equipment for resuscitation of patients like Boyle's apparatus, suction machines, emergency drugs, to combat any allergic reactions due to contrast medium.
8. स्टेरीलाइज्ड उपकरण, डिस्पोजेबल सिरिंज एवं नीडल्स, कैथेटर्स आदि का प्रावधान होना चाहिए। There should be provision for sterilized instrument, disposable syringes & needles, catheters etc.
9. धुले साफ़ लीनेन का प्रावधान होना चाहिए। There should be provision for washed clean linens.
10. स्नात्कोत्तर उपाधिधारित योग्य रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। There should be qualified Radiologist- having Post Graduate Degree.
11. मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा(2वर्षों का)/स्नातक उपाधिधारक – योग्य रेडियोग्राफ़र होना चाहिए। There should be qualified Radiographer- holding diploma (2 years)/ degree in Radiography from recognized institution.
12. महिला रोगियों के लिए नर्सिंग स्टाफ़/महिला परिचारिका होनी चाहिए। There should be nursing staff/female attendant for lady patient.
13. डीआरपी/बीएआरसी के माध्यम से सभी तकनीकी स्टाफ़ एवं डॉक्टर को विकिरण मॉनीटरिंग का प्रावधान होना चाहिए। There should be provision for radiation monitoring of all technical staff & doctor through DRP/ BARC.

14. ऐसी प्रक्रियाओं के दौरान जिसमें विभेदक माध्यम शामिल है निश्चेतनकर्ता /निश्चेतनविद द्वारा कवरेज होना चाहिए। There should be coverage by Anesthetist during procedures involving contrast media.
15. अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। There should be disposal of waste.
16. जनरेटर, यूपीएस, एमर्जेंसी लाइट का बैकअप होना चाहिए। There should be backup of Generator, UPS, emergency light.
17. केंद्र सुगम होना चाहिए। Centre should be easily approachable.
18. कार्यभार – 50 प्रति माह । Workload – 50 per month.
19. इन्स्टॉलेशन आईआरबी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। Installation should be approved by AERB.

यूएसजी/कलर डोप्लर केंद्र CRITERIA FOR USG/COLOR DOPPLER CENTRE

1. केंद्र पीएनडीटी अधिनियम एवं इसके कार्यान्वयन की स्थिति के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। Centre should be registered under PNDT Act and its status of implementation.
2. केंद्र में मशीन स्थाई रूप से स्थित होनी चाहिए। इसमें उच्च विभेदन अल्ट्रासाउंड मानक तथा अद्यतित प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। कॉन्वेक्स, सेक्टर, रेखीय प्रोब्स की बारंबारता परास 3.5 से 10 एमएचजेड वाले उपकरण तथा ट्रांस वैजिनल/ ट्रांस रेक्टल प्रोब्स का प्रावधान/ सुविधाएं होनी चाहिए। Machine should be permanently housed in the Diagnostic Centre. It should be of high resolution Ultrasound standard and of updated technology. Equipment having convex, sector, linear probes of frequency ranging from 3.5 to 10 MHz and should have provision/ facilities of Trans Vaginal/ Trans Rectal Probes.
3. न्यूनतम तीन (03) प्रोब्स होने चाहिए। It should have minimum three probes.
4. इमेजिस एवं रिपोर्टों की हार्ड प्रतियों के प्रिंटआउट हेतु सुविधाएं होनी चाहिए। There should be facilities for print out of hard copies of the images and reports.
5. केंद्र में योग्य रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। The centre should have qualified Radiologist.
6. महिला रोगियों के लिए पूर्णकालिक नर्स/महिला परिचारिका होना चाहिए । There should have full time Nurse/ Female attendant for female patients.
7. कमरा पर्याप्त आकार सहित उचित संवातनयुक्त होना चाहिए। The size of the room should be adequate with proper ventilation.

8. रोगी की प्रक्रियारतकार्यविधियों जैसे एफएनएसी, एब्सिस ऑफ़ ड्रेनेज एवं कलेक्शन्स आदि की प्रक्रिया हेतु आधारभूत संरचना सहित आपातकालीन रिकवरी सुविधाएं होनी चाहिए।
There should be emergency recovery facilities for patients undergoing interventional procedures like FNAC, drainage of abscess & collections etc. with infrastructure for the procedure.
9. ऐसी प्रक्रियाओं के दौरान निश्चेतनविद की व्यवस्था भी होनी चाहिए। There should be anesthetic coverage during such procedures.
10. साफ़ लीनेन एवं निपटान योग्य उपभोज्य एवं विसंक्रमित उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए।
Availability of clean linen & disposable consumable & sterilized instruments.
11. बैकअप जनरेटर,यूपीएस, आपातकालीन लाइट होनी चाहिए। There should be backup Generator, UPS, emergency light.
12. केंद्र सुगम होना चाहिए। Centre should be easily approachable.
13. कार्यभार – 250 प्रति माह | Work load 250 per month.

2.0 एनपीसीआईएल केजीएस चिकित्सालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बनाए गए संदर्भों के आधार पर सीएचएसएस लाभार्थियों को कारवार में रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रोंमें सीटी स्कैन एवं अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध कराएगा।The Radiological Diagnostic Centre/ Centres In Karwar shall provide CT Scan and Ultrasonography facilities to the CHSS beneficiaries based on the referrals made by the authorized signatory of the NPCIL KGS Hospital.

2.1 रेडियोलॉजिकल नैदानिक सुविधाएं ऊपर उल्लिखित 2.0 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनपीसीआईएलकेजीएस चिकित्सालय कीविस्तारितचिकित्सासुविधाओंकाएक भाग मानाजाएगाऔररेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रोंकोइसतरहकी जांचकीलागतकाभुगतानएनपीसीआईएलकेगा स्थल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कियाजाएगा।The Radiological Diagnostic facilities as per the criteria specified above at 2.0 will be considered as a part of extended medical facilities of the NPCIL KGS Hospital and cost of such investigations incurred will be paid directly by NPCIL Kaiga Site to the Radiological Diagnostic Centre/Centers.

2.2 संदर्भित पत्रों पर चिकित्सा अधीक्षक, केजीएस अस्पताल या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही सीटी स्कैन एवं अल्ट्रासाउंड हेतु विचार किया जाएगा। Referral Letters signed only by the Medical Officer In-charge, KGS Hospital or Authorized signatory shall be entertained for CT Scan and Ultrasonography.

- 2.3** रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों का नामिकायन सामान्यतया 03 (तीन) वर्षों के लिए होगा तथा ऐसे ही नामिकायन का नवीकरण भी आपसी करार के आधार पर सामान्यतया 03 (तीन) वर्षों के लिए होगा। The empanelment of Radiological Diagnostic Centre/ Centers will be normally for 03 (Three) years and similarly the renewal of empanelment will also be normally for a period of 03 (Three) years based on mutual agreement.
- 2.4** एनपीसीआईएल कैगा स्थल को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों के पैनल के लिए एनियमों और शर्तों पर बातचीत की जा सकती है जो लाभार्थियों को नकद भुगतान की आवश्यकता के बिना उपयुक्त जांच करने में सक्षम बनाएगा। The terms and conditions for empanelment of Radiological Diagnostic Centre/ Centers may be negotiated for the purpose of extending credit facility to NPCIL Kaiga Site which will enable the beneficiaries to get the appropriate investigation without the necessity of cash payment.
- 2.5** आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन कंपनी को कर्मचारी द्वारा कर छूट पाने के लिए निर्धारित कर छूट प्रमाणपत्र चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। Tax exemption certificate prescribed under the Income Tax Act, 1961 to the company to avail tax exemption by the employees, may be provided by the hospital.

3.0 सामान्य सूचना एवं निर्देश GENERAL INFORMATION & INSTRUCTIONS:

- 3.1** उक्त पैरा 2.0 के कथनानुसार एनपीसीआईएल कैगा साइट रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों के पैनल के लिए आवश्यकता को पूरा किए जाने की शर्त के अधीन यह ईओआई जारी करता है। NPCIL Kaiga Site floats this EOI for empanelment of Radiological Diagnostic Centre/ Centers subject to fulfilling the requirement as stated above at Para 2.0.
- 3.2** आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले ईओआई दस्तावेज़ की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा। Applicants are expected to examine the EOI document carefully before submission. Incomplete applications will be summarily rejected.
- 3.3** यह माना जाएगा कि आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक ने: It would be deemed that prior to the submission of the Application, the applicant has:
- i.** इस ईओआई अनुरोध दस्तावेज़ में निर्धारित आवश्यकताओं और अन्य जानकारी की पूरी तरह और सावधानीपूर्वक जांच की है। Made a complete and careful examination of requirements and other information set forth in this EOI request document.
 - ii.** एनपीसीआईएल कैगा स्थल से अनुरोध की गई सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की है। Received all such relevant information as it has requested from NPCIL Kaiga Site.

- 3.4** आवेदक को अपने आवेदन तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित सभी खर्चों का वहन करना होगा। The applicant shall bear all costs associated with the preparation and submission of their application.
- 3.5** आवेदक एनपीसीआईएल कैगा स्थल से बिना पूर्व लिखित अनुमति के तीसरे पक्ष को कोई भी गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा। The applicant shall not disclose confidential information relating to the patient to any third party without prior written approval of NPCIL Kaiga Site.
- 3.6** एनपीसीआईएल कैगा स्थल को सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मंगवाए जाने का अधिकार है, यदि आवश्यक होने पर, आवेदक द्वारा अपने पिछले ग्राहकों आदि से दिए गए किसी भी विवरण की क्रॉस-चेकिंग भी की जा सकती है। आवेदकों को इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। NPCIL Kaiga Site reserves the rights to call for the supporting documents for verification if so deemed also cross-check for any details as furnished by the applicant from their previous clients etc. The applicants shall not have any objection whatsoever in this regard.
- 3.7** पार्टी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में योग्यता के समर्थन में दस्तावेज, सीजीएचएस दर सूची दिनांक 13/10/2025 से प्रभावी संशोधित सीजीएचएस दरों के अनुसार लागू होगी। सभी लिफाफों को अनिवार्य रूप से सील किया जाना चाहिए और कारवार में रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर / केंद्रों के पैनल के साथ लिखा जाना चाहिए। The application submitted by the party shall comprise the documents in support of Qualification, CGHS rate list applicable as per revised CGHS rates effective from date 13/10/2025. All the envelopes should compulsorily be sealed & super scribed with Empanelment of Radiological Diagnostic Centre/ Centers In Karwar.
- 4.0 दरें / दर सूची RATES / TARIFF:**
- 4.1** रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर / केंद्रों द्वारा प्रभारित दरों की अनुसूची स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित दिनांक 13/10/2025 से प्रभावी संशोधित सीजीएचएस दरों के अनुसार लागू सीजीएचएस दर सूची के साथ तुलनीय होनी चाहिए। The schedule of rates charged by the Radiological diagnostic Centre/ Centers should be comparable with CGHS rate list applicable as per revised CGHS rates effective from date 13/10/2025 as notified by Ministry of Health & Family Welfare Department of Health & Family Welfare.
- 4.2** यदि रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र केंद्रों/कोकेंद्र सरकार/कर्नाटकराज्य सरकार द्वारा सीएस(एमए) नियमों के तहत अनुमोदित किया जाता है, तो ऐसे अस्पतालों को समय-समय पर लागू होने वाली उनकी अधिसूचित दरों पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। If the Radiological Diagnostic Centre/ Centers is approved by the Central Government/Karnataka State Government under CS(MA) Rules, such Radiological Diagnostic Centre/ Centers may be empanelled on their scheduled rates as applicable from time to time.

4.3 किसीविशेषस्थानपर, यदिकोईरेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों/सीजीएचएस/सरकारीदरोंपरचिकित्सासेवाएंप्रदानकरनेकेलिएतैयारनहींहै, लेकिनऐसेरेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों/कोअन्यसरकारीसंगठन, द्वारा सूचीबद्धयामान्यताप्राप्तहै अर्थात्केंद्रसरकारयाराज्यसरकारद्वाराउसीस्थानपर, तोदरोंकीअनुसूचीजिसपरऐसेरेडियोलॉजिकल नैदानिककेंद्र/केंद्रोंकोसूचीबद्धयामान्यताप्राप्तहै, परविचारकियाजासकताहै। In a particular place If any of the Radiological Diagnostic Centre/ Centers is not ready to provide medical services at CGHS/Government rates but such Radiological Diagnostic Centre/ Centers is empanelled or recognized by other Government Organization ,i.e., Central government or State Government in the same place, then the schedule of rates on which such Radiological Diagnostic Centre/ Centers is empanelled or recognized may be considered.

5. आवेदनोंकामूल्यांकनऔरमिलानEVALUATION AND COMPARISON OF APPLICATIONS

अस्पतालपैनलसमिति यथास्थितिउनरेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रोंको कादौराऔरनिरीक्षणकरेगी, जिन्होंने परिशिष्ट-IV के मापदंडोंकेआधारपरईओआईदियाहै। समितिकीसिफारिशोंकेअनुसार, आवेदनोंकोशॉर्टलिस्टकियाजाएगाऔरएमपैनलमेंटकीआगेकीप्रक्रियाकेलिएऐसेस्क्रीनिंग किए गऐरेडियोलॉजिकल नैदानिककेंद्र/केंद्रोंको कीदरसूचीको खोलाजाएगा। The Hospital Empanelment Committee will visit and inspect the Radiological Diagnostic Centre/ Centers which have given EOI based on the Annexure –IV criteria as the case may be. As per recommendations of Committee, applications will be shortlisted and the rate list of such screened Radiological Diagnostic Centre/ Centers will be opened for further process of empanelment.

6. अवार्ड मानदंडAWARD CRITERIA

कॉर्पोरेशन उसरेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रोंको पैनल में शामिल करेगा, जिसका मूल्यांकित ईओआई तकनीकी रूप से उपयुक्त और वित्तीय रूप से सबसे कम पाया गया है और जो ईओआई दस्तावेज के प्रति मूर्त रूप से उत्तरदायी है, तथापि, आवेदक संतोषजनक रूप से समझौते के कार्यान्वयन हेतु योग्य है। The Corporation shall empanel the Radiological Diagnostic Centre/ Centres whose evaluated EOI has been determined to be technically suitable and financially lowest and is substantially responsive to the EOI document, provided further that the applicant is determined to be qualified to execute the agreement satisfactorily.

7. भ्रष्ट एवं धोखाधड़ीपूर्ण पद्धतियाँ: CORRUPT & FRAUDULENT PRACTICES:

यह अपेक्षित है कि आवेदक को संविदा निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्च मानक का अनुपालन करना है, जिनका उल्लेख " भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण पद्धतियाँ " नीति में, नीचे परिभाषित किया गया है: It is expected that applicants observe the highest standard of ethics during the execution of the contract in pursuance to the policy of "Corrupt & Fraudulent Practices" that is defined as follows:

- i. "भ्रष्ट पद्धति" अर्थात संविदा निष्पादन के समय एक लोक अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने हेतु किसी मूल्यवान वस्तु का देना या लेना अथवा अपेक्षा करना। "Corrupt practice" means the offering, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of a public official in the contract execution.
- ii. "धोखाधड़ीपूर्ण पद्धति" अर्थात एनपीसीआईएल के नुकसान के लिए संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण और इसमें आवेदकों के बीच मिलीभगत वाली पद्धतियाँ (ईओआई प्रस्तुत करने से पूर्व या बाद में) शामिल हैं, जो कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धा स्तरों पर आवेदन प्रक्रिया स्थापित करने और एनपीसीआईएल को स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। "Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts to influence the execution of a contract to the detriment of NPCIL and includes collusive practices amongst the applicants (prior to or after EOI submission) designed to establish application process at artificial non-competition levels and to deprive NPCIL of the benefits of free and open competition.

यदि यह पता चलता है कि कोई आवेदक अथवा एजेंसी जिसे कार्य प्रदान किया गया है वह भ्रष्ट अथवा धोखाधड़ी रीतियों में लीन पाया जाता है, तो एनपीसीआईएल द्वारा कार्य प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया जाएगा। NPCIL will reject a proposal for award of work, if it is determined that any applicant or the agency to whom the work has been awarded is engaged in corrupt or fraudulent practices.

**8. एनपीसीआईएल कैगा स्थल के पास किसी आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार है, यदि:
NPCIL Kaiga Site reserves the right to reject any application if :**

- i. किसी भी समय कोई अत्यंत गलत कथन देता है या उजागर करता है, At any point of time, a material misrepresentation is made or uncovered.
- ii. आवेदक आवेदन के मूल्यांकन हेतु अपेक्षित अतिरिक्त/पूरक जानकारी के अनुरोधों का तत्परता एवं पूर्ण रूप से प्रत्युत्तर नहीं देता है। The applicant does not respond promptly and thoroughly to requests for supplemental information required for the evaluation of the Application.

9. करार AGREEMENT:

अंतिम करार पर, रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र केंद्रों/के साथ एनपीसीआईएल – कैगा स्थल के उप महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक /प्रबंधक (मा.सं.) द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा । परिशिष्ट-V में दिए गए प्रपत्र में पैनेल हेतु शामिल करने के लिए यथास्थिति अनुमोदित किया जा सकता है। The final agreement will be signed by the Dy. General Manager / Senior Manager / Manager (HR) of the NPCIL –Kaiga Site with the Radiological Diagnostic Centre/ Centres the case may be approved for empanelment in the prescribed format as at Annexure-V.

**कारवार में सीटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर की
एंपैनेलमेंट करने हेतु आवेदन प्रपत्र**

**APPLICATION FORMAT FOR EMPANELMENT OF RADIOLOGICAL DIAGNOSTIC
CENTRE FOR CT SCAN AND ULTRASONOGRAPHY IN KARWAR**

1. शहर का नाम जहां रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र स्थित है Name of the city where Radiological Centre/Centres situated.

2. रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों के नाम Name of the Radiological Diagnostic Centre/Centres

3. पता Address

4. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल Tel/fax/e-mail

दूरभाष Telephone																			
फैक्स Fax																			
ई-मेल/वेबसाइट पता e-mail/website address																			

प्राधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the Authorized Applicant

संलग्नक: संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ऐसे रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक केंद्रों को संचालित करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रति वैधता की सटीक अवधि के साथ संलग्न – हाँ / नहीं

Attachment: Copy of all essential certificates required to operate such Radiological Diagnostic Centres issued by the concerned authorities with exact period of validity must be enclosed - Yes / No

उपलब्ध रेडियोलॉजिकल नैदानिक सुविधाएँ Radiological Diagnostic Facilities Available:	Yes/No
CT Scan with and without Contrast – for all parts	
Ultrasonography – for all parts including Trans-vaginal, Trans-rectal and Anti Natal	
अन्य कोई (विशेषता का नाम निर्दिष्ट करें) Any other (specify the name of the Specialty)	

6. क्या रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र/केंद्रों को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है
Whether the Radiological Diagnostic Centre is recognized under any one or more of following:

क्र.सं.S.N	प्राधिकरण Authority	हाँ Yes	नहीं No
a)	सीजीएचएस/सीएस(एमए)/पऊवि की सीएचएसएस/ सीएचएसएस ऑफ डीओएस, भारत सरकार/सीपीएसयू के अंतर्गत Under CGHS/CS(MA)/CHSS of DAE, CHSS of DoS, GOI/any CPSU.		
b)	राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के अंतर्गत Under State Health Authority/Local Body		
c)	किसी भी स्वास्थ्य बीमा संस्था के अंतर्गत (यदि हां तो निर्दिष्ट करें) Under any Medical Health Insurance Organisation (If yes, specify)		
d)	न्यासी(ट्रस्ट) Trust		

7. क्या सीजीएचएस दरें लागू हैं Whether CGHS rates applicable

हाँ Yes		नहीं No	
------------	--	------------	--

यदि "हाँ" तो कृपया अपने सीटी स्कैन एवं /या अल्ट्रासोनोग्राफी के सीजीएचएस प्रणालियों के अलावा नवीनतम दर सूची संलग्न करें तथा सीजीएचएस प्रणाली के लिए सीजीएचएस बेंगलूर के नवीनतम दर सूची संलग्न करें।

If "Yes" then ***please enclose your latest CT Scan and/or Ultrasonography rate list.***

Please enclose the latest CGHS rate list for CGHS procedures.

यदि नहीं तो एंपैनलमेंट के लिए कृपया अपने सीटी स्कैन एवं /या अल्ट्रासोनोग्राफीकी घोषित दर सूची संलग्न करें।

If "**No**", please enclose your published rate list of CT Scan and/ or Ultrasonography for empanelment.

8. क्या एनएबीएच/एनएबीएल मान्यता प्राप्त है Whether NABH/NABL accredited हाँ Yes नहीं No अप्रयोज्य
Not Applicable

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

9. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी। Any other relevant information.

10. विभिन्न जांच के लिए दर सूची संलग्न किया जाए। Rate list for various investigations to be enclosed.

प्राधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the Authorized Applicant

सी टी स्कैन केंद्र हेतु मानदंड CRITERIA FOR CT SCAN CENTRE:

1. .संपूर्ण शरीर सी टी स्कैन वाला केंद्र होना चाहिए। The center should have whole body CT scan.
2. यह आईआरबी दिशानिर्देशों के अनुसार भवन में स्थित होना चाहिए। It should be housed in building as per AERB guidelines.
3. पर्याप्त कार्य स्थल होना चाहिए। There should be sufficient work space.
4. प्रतीक्षा स्थल होना चाहिए जो विकिरण क्षेत्र से अलग हो। There should be waiting area which should be separate from the radiation area.
5. कपड़े बदलने के कक्ष का प्रावधान होना चाहिए। There should be provision for changing room.
6. जिसमें विकिरण संरक्षात्मक उपकरण के प्रावधान जैसे स्क्रीन, लीड एप्रन, थायरॉयड एवं गोनाड्स संरक्षात्मक शील्ड होनी चाहिए। There should be provision of Radiation Protective devices like Screen, Lead Apron, Thyroid & Gonads protective shield.
7. विभेदक माध्यम से होने वाली किसी भी प्रकार की एलर्जी से होने वाली प्रतिक्रिया के उपचार /से निपटने हेतु रोगी को पुनर्जीवित करने वाले उपकरण जैसे बॉयली अप्रैटस, सक्शन/सक्शन मशीनें, आपातकालीन दवाइयां होनी चाहिए। There should be equipment for resuscitation of patients like Boyle's apparatus, suction machines, emergency drugs, to combat any allergic reactions due to contrast medium.
8. स्टेरीलाइज्ड उपकरण, डिस्पोजेबल सिरिंज एवं नीडल्स, कैथेटर्स आदि का प्रावधान होना चाहिए। There should be provision for sterilized instrument, disposable syringes & needles, catheters etc.
9. धुले साफ़ लीनेन का प्रावधान होना चाहिए। There should be provision for washed clean linens.
10. स्नात्कोत्तर उपाधिधारित योग्य रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। There should be qualified Radiologist- having Post Graduate Degree.
11. मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा (2 वर्षों का)/स्नातक उपाधिधारक – योग्य रेडियोग्राफर होना चाहिए। There should be qualified Radiographer- holding diploma (2 years)/ degree in Radiography from recognized institution.
12. महिला रोगियों के लिए नर्सिंग स्टाफ़/महिला परिचारिका होनी चाहिए। There should be nursing staff/female attendant for lady patient.
13. डीआरपी/बीएआरसी के माध्यम से सभी तकनीकी स्टाफ़ एवं डॉक्टर को विकिरण मॉनीटरिंग का प्रावधान होना चाहिए। There should be provision for radiation monitoring of all technical staff & doctor through DRP/ BARC.

14. ऐसी प्रक्रियाओं के दौरान जिसमें विभेदक माध्यम शामिल है निश्चेतनकर्ता /निश्चेतनविद द्वारा कवरेज होना चाहिए। There should be coverage by Anesthetist during procedures involving contrast media.
15. अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। There should be disposal of waste.
16. जनरेटर, यूपीएस, एमर्जेंसी लाइट का बैकअप होना चाहिए। There should be backup of Generator, UPS, emergency light.
17. केंद्र सुगम होना चाहिए। Centre should be easily approachable.
18. कार्यभार – 50 प्रति माह । Workload – 50 per month.
19. इन्स्टॉलेशन आईआरबी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। Installation should be approved by AERB.

यूएसजी/कलर डोप्लर केंद्र CRITERIA FOR USG/COLOR DOPPLER CENTRE

1. केंद्र पीएनडीटी अधिनियम एवं इसके कार्यान्वयन की स्थिति के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। Centre should be registered under PNDT Act and its status of implementation.
2. केंद्र में मशीन स्थाई रूप से स्थित होनी चाहिए। इसमें उच्च विभेदन अल्ट्रासाउंड मानक तथा अद्यतित प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। कॉन्वेक्स, सेक्टर, रेखीय प्रोब्स की बारंबारता परास 3.5 से 10 एमएचजेड वाले उपकरण तथा ट्रांस वैजिनल/ ट्रांस रेक्टल प्रोब्स का प्रावधान/ सुविधाएं होनी चाहिए। Machine should be permanently housed in the Diagnostic Centre. It should be of high resolution Ultrasound standard and of updated technology. Equipment having convex, sector, linear probes of frequency ranging from 3.5 to 10 MHz and should have provision/ facilities of Trans Vaginal/ Trans Rectal Probes.
3. न्यूनतम तीन (03) प्रोब्स होने चाहिए। It should have minimum three probes.
4. इमेजिस एवं रिपोर्टों की हार्ड प्रतियों के प्रिंटआउट हेतु सुविधाएं होनी चाहिए। There should be facilities for print out of hard copies of the images and reports.
5. केंद्र में योग्य रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। The centre should have qualified Radiologist.
6. महिला रोगियों के लिए पूर्णकालिक नर्स/महिला परिचारिका होना चाहिए । There should have full time Nurse/ Female attendant for female patients.
7. कमरा पर्याप्त आकार सहित उचित संवातनयुक्त होना चाहिए। The size of the room should be adequate with proper ventilation.

- 8.** रोगी की प्रक्रियारतकार्यविधियों जैसे एफएनएसी, एब्सिस ऑफ़ ड्रेनेज एवं कलेक्शन्स आदि की प्रक्रिया हेतु आधारभूत संरचना सहित आपातकालीन रिकवरी सुविधाएं होनी चाहिए।
There should be emergency recovery facilities for patients undergoing interventional procedures like FNAC, drainage of abscess & collections etc. with infrastructure for the procedure.
- 9.** ऐसी प्रक्रियाओं के दौरान निश्चेतनविद की व्यवस्था भी होनी चाहिए। There should be anesthetic coverage during such procedures.
- 10.** साफ़ लीनेन एवं निपटान योग्य उपभोज्य एवं विसंक्रमित उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए।
Availability of clean linen & disposable consumable & sterilized instruments.
- 11.** बैकअप जनरेटर,यूपीएस, आपातकालीन लाइट होनी चाहिए। There should be backup Generator, UPS, emergency light.
- 12.** केंद्र सुगम होना चाहिए। Centre should be easily approachable.
- 13.** कार्यभार – 250 प्रति माह । Work load 250 per month.

(केवल सफल बोलीदाता/बिडरही इस करार को भरेगा और
यह आपकी जानकारी के लिए करार की केवल एक नमूना प्रति है)
(ONLY SUCCESSFUL BIDDER WILL FILL THIS AGREEMENT &
THIS IS ONLY A SPECIMEN COPY OF AGREEMENT FOR YOUR INFORMATION)

Annexure-V

सं No.....

करार AGREEMENT

के मध्य BETWEEN

एनपीसीआईएल (इकाई का नाम) NPCIL (NAME OF THE UNIT)

एवं AND

.....,

यह करार एनपीसीआईएल (इकाई का नाम) द्वारा और उसके बीच _____, 2026 के _____
दिन किया और निष्पादित किया जाता है, जिसका कार्यालय में है। प्रथम पार्टी के और
..... (पते के साथ रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र का नाम)
द्वितीय पक्ष का।

This Agreement is made and executed on this _____ day of _____, 2026 by and
between NPCIL (Name of the Unit) having its office at of the First Party
AND

..... (Name of the Radiological Diagnostic Centre with
Address) of the Second Party.

"जबकि,
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना एनपीसीआईएल कैगा स्थल के सभी सीएचएस लाभार्थियों और डीई की अन्य इकाइयों
में "लाभार्थी" के रूप में रेफर करने के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान कर रही है।"

WHEREAS, the Contributory Health Services Scheme is providing comprehensive medical
care facilities to all CHSS beneficiaries of NPCIL Kaiga Site and other Units of DAE
referred to as "beneficiary".

और जबकि, रेफरल अस्पताल योजना के एनपीसीआईएल कैगा साइट पैनल में रेफरल पर लाभार्थियों को रेडियोलॉजि
कल डायग्नोस्टिक सुविधाएं (सीटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी) प्रदान करने का प्रस्ताव है और जबकि,
(रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सुविधाओं का नाम)
दूसरे पक्ष के स्वामित्व वाले रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर में लाभार्थियों को निम्नलिखित नैदानिक सुविधाएं देने के

AND whereas, NPCIL Kaiga Site Empanelment of Referral Hospitals Scheme proposes to provide Radiological Diagnostic facilities (CT Scan and Ultrasonography) to the Beneficiaries on referral AND WHEREAS, (Name of the Radiological Diagnostic facilities) agreed to give the following diagnostic facilities to the Beneficiaries in the Radiological Diagnostic Centre owned by the Second Party.

.....

.....

अब, इसलिए, एतद्वारापार्टियोंकेबीचनिम्नानुसारसहमतिव्यक्तकीजातीहै:

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED between the Parties as follows:

1.0 सामान्य शर्तें GENERAL CONDITIONS

- 1.1** दूसरापक्षयोजनाकेअंतर्गत लाभार्थियोंको
सेवाएंप्रदानकरनेकेलिएपहलेपक्षकोक्रेडिटसुविधाप्रदानकरेगा।The Second Party shall extend credit facility to the First Party for providing the services under the Scheme to the beneficiaries.
- 1.2** बाह्यरोगीऔरअंतःरोगीउपचारऔरअनुमोदितपैकेजदरोंकेअंतर्गतकिसीभीअन्यप्रक्रियाओंकेलिए क्रेडिटकेआधारपरसभीसीएचएसलाभार्थियोंतकविस्तारितकियाजाएगाऔरकोईअलगपंजीकरण शुल्क, फ़ाइलशुल्कआदिनहींलियाजाएगा।सभीआवश्यकदवाओं, जांच, रक्तऔररक्तघटकोंकीलागत (रक्तदाताशुल्कआदिकोछोड़करसेवाशुल्क)रेफरलचिकित्सालयद्वाराप्रस्तुतकिएजानेवालेअंतिम बिलमेंशामिलकियाजाएगा।दरोंकीअनुसूचीअनुलग्नक-एमेंदर्शाईगईहै।Diagnostic facilities under the approved Package rates shall be extended on credit basis to all the CHSS beneficiaries and no separate registration fees, file charges etc. will be charged. The schedule of the rates is indicated in Annexure A.
- 1.3** जांच के लिए दरें अनुमोदित दरों के अनुसार प्रभारित होंगी। जांच की लागत जो अनुमोदित सीजीएस/ प्रयोगशाला दर सूची में शामिल नहीं है, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा अधीक्षक की पूर्व सहमति से ही प्रभारित की जाएंगी।The charges for the investigations are to be charged according to the approved rates. The cost of investigations that are not

covered under the approved CGHS/ Lab rate list, if required to be done, prior concurrence of the Medical Officer In-Charge is required.

- 1.4** इसकरारके अंतर्गत प्रथम पक्ष के लाभार्थी के लिए किसी भी नैदानिक जांच, दरें इसकरार की वैधता अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी और बढ़ाई नहीं जाएंगी। हालांकि, संशोधित सीजीएस/सीएसएमए/सीएसएसएस दरों को संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना के संशोधन की तारीख से नैदानिक केंद्र के विशेष अनुरोध पर प्रभावी बनाया जाएगा और तदनुसार संशोधन जारी किया जा सकता है। तथापि नैदानिक केंद्र द्वारा प्रस्तुत दरें सीजीएस दर सूची में सूचीबद्ध नहीं है, प्रस्तुत दरें स्थिर रहेंगी और पूरे संविदा के दौरान अर्थात् समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 36 महीने तक नहीं बदलेंगी। The procedure and package rates for any diagnostic investigation, for beneficiary of First Party under this Agreement shall remain firm and not be increased during the validity period of this Agreement. However, the revised CGHS/CSMA/CHSS rates will be made effective on specific request of the Diagnostic Centre from date of revision of notification by the respective authority and amendment can be issued accordingly. However, the rates submitted by the Diagnostic Centre are not listed in CGHS rate list, the submitted rates will remain firm during the entire contract period which is 36 months from the date of signing of MOU.
- 1.5** दूसरा पक्ष केवल ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जिसके लिए इसे एनपीसीआईएल कैगा स्थल द्वारा पार्टियों के बीच निर्धारित/ सहमत दर पर सूचीबद्ध किया गया है और बाध्यकारी होगा। किसी भी कारण से यदि रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र द्वारा कोई अन्य सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है, तो उसे केवल चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा तथा समान उपचार के लिए आस-पास स्थानीय दर के समान शुल्क एनपीसीआईएल कैगा स्थल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। The Second Party shall provide services only for which it has been empanelled by NPCIL Kaiga Site at the rate fixed / agreed between the Parties and shall be binding. Due to any reason, if any other services are required to be provided by the Radiological Diagnostic Centre, the same shall be provided only with the approval of Medical

Superintendent / MOIC and the charges will be as per the charge fixed by NPCIL Kaiga Site for the same treatment in the nearby locality.

- 1.6** दूसरा पक्ष जांच किए गए लाभार्थियों के संबंध में मासिक आधार पर कैलेंडर माह के अगले 10 वें दिन तक निर्धारित प्रारूप में प्रथम पक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। The Second Party shall furnish reports on monthly basis by 10th day of the succeeding calendar month in the prescribed format to the First Party in respect of the beneficiaries investigated.
- 1.7** जहां कहीं भी कम्प्यूटरीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली पहली पार्टी के पास मौजूद है, दूसरा पक्ष सभी मेडिकल रिकॉर्ड को सॉफ्ट कॉपी में बिलों के साथ प्रस्तुत करेगा The Second Party shall submit all the medical records in soft copy of medical records along with the bills wherever computerized hospital management system exists to the First Party.
- 1.8** दूसरा पक्ष इस बात से सहमत है कि चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने या प्रदर्शन करने में किसी भी चूक या लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता को विशेष रूप से दूसरे पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा, जो अकेले ऐसी सेवाएं प्रदान करने में दोष और/या कमियों के लिए जिम्मेदार होगा। The Second Party agrees that any liability arising due to any default or negligence in providing or performance of the medical services shall be borne exclusively by the Second Party, which alone shall be responsible for the defect and / or deficiencies in rendering such services.
- 1.9** दूसरा पक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर/स्टाफ की संख्या में किसी भी बदलाव के बारे में चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा। पहले पक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य स्थान पर सुविधा स्थानांतरित करने के मामले में एंपैनलमेंट को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। दूसरे पक्ष की नई स्थापना पर एक नया निरीक्षण किया जाएगा और अस्पताल एंपैनलमेंट समिति द्वारा निरीक्षण की संतुष्टि के अधीन एंपैनलमेंट में शामिल किया जाएगा। The Second Party shall immediately communicate to Medical Superintendent / MOIC about any change in the infrastructure / strength of

staff. The empanelment will be temporarily withheld in case of shifting of the facility to any other location without prior permission of the First Party. The new establishment of the Second Party shall attract a fresh inspection and empanelment will be continued subject to satisfaction of the inspection by the Hospital Empanelment Committee.

1.10 दूसरा पक्ष चिकित्सालय में प्राप्त रेफरलों की संख्या, की गई जाँचों के संबंध में, प्रथम पक्ष को प्रस्तुत बिलों और प्राप्त भुगतान, मासिक रिपोर्ट का विवरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। The Second Party will submit an annual report regarding number of referrals received, investigations done, bills submitted to the First Party and payment received, details of monthly report submitted to the Medical Superintendent/MOIC.

1.11 किसी भी प्राकृतिक आपदा / महामारी के मामले में, दूसरा पक्ष पहले पक्ष के अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा और उपचार प्रदान करने के अलावा सभी आवश्यक जानकारी संप्रेषित/प्रकट करेगा। In case of any natural disaster / epidemic, the Second Party shall fully cooperate with the authorities of the First Party and will convey / reveal all the required information, apart from providing treatment.

1.12 दूसरा पक्ष प्रथम पक्ष के नाम का कोई भी वाणिज्यिक प्रचार नहीं करेगा। हालांकि एंपैनलमेंट के तथ्य को एनपीसीआईएल, कैगा स्थल के सीएचएसएस योजना के अंतर्गत एमपैनल केंद्र परिसर में प्रदर्शित किया जा सकता है। The Second Party will not make any commercial publicity projecting the name of the First Party. However, the fact of empanelment under NPCIL Kaiga Site CHSS Scheme may be displayed at the premises of the empanelled center.

1.13 दूसरा पक्ष, रोगी को प्रथम पक्ष के अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्रों में नहीं भेजेगा। जब भी रोगी को आगे रेफरल की आवश्यकता हो, संबंधित चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को पूर्व सूचना दी जाएगी। The Second Party will not refer the patient to other Radiological Diagnostic Centre for the investigation without prior

permission of authorities of the First Party. Prior intimation shall be given to concerned Medical Superintendent/MOIC whenever patient needs further referral.

2.0 रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्रों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां | DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RADIOLOGICAL DIAGNOSTIC CENTRES

यह

हर समय दूसरे पक्ष का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल के वैध पंजीकरण, मान्यता और उच्च गुणवत्ता और मानक प्राप्त करे, बनाए रखे और मौजूदा कानूनों के अंतर्गत या उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के सभी वैधानिक / अनिवार्य लाइसेंस, परमिट या अनुमोदन प्राप्त करे। It shall be the duty and responsibility of the Second Party at all times, to obtain, maintain and sustain the valid registration, recognition and high quality and standard of its services and healthcare and to have all statutory / mandatory licenses, permits or approvals of the concerned authorities under or as per the existing laws.

3.0 अवधि के दौरान चिकित्सालय/ क्लिनिक, प्रयोगशालाएं एवं नैदानिक केंद्र के सत्यनिष्ठा और देयताएं | HOSPITALS/ CLINICS, LABORATORIES & DIAGNOSTIC CENTRE INTEGRITY AND OBLIGATIONS DURING AGREEMENT PERIOD

दूसरा पक्ष अत्याधुनिक पद्धतियों और आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करके करार के अनुसार सभी संविदा दायित्वों को निभाने और करार में विनिर्दिष्ट प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों का प्रयोग करने हेतु जिम्मेदार और बाध्य है। दूसरा पक्ष अपने कर्मचारियों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और साथ ही उनके दुर्व्यवहार, लापरवाही, कदाचार या सेवाओं में कमी यदि कोई हो, के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। The Second Party is responsible for and obliged to conduct all contractual obligations in accordance with the Agreement using state-of-the-art methods and economic principles and exercising all means available to achieve the performance specified in the Agreement. The Second Party is responsible for managing the activities of its personnel and will hold itself responsible for their misdemeanors, negligence, misconduct or deficiency in services, if any.

4.0 आपात स्थिति में उपचार | TREATMENT IN EMERGENCY

इस संविदा में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, आपातस्थिति में, दूसरा पक्ष सीएचएसएसलाभार्थी से नैदानिक सुविधाएं प्रदान के लिए इनकार या अग्रिम की मांग नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई हो, पैकेज दरों सहित अनुमोदित दरों के अनुसार संबंधित रोगी के लिए सामान्य क्रम के अनुसार उपचार प्रदान करना चाहिए। दूसरे पक्ष को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी कोई-मेल / फैक्स द्वारा सूचित करना और

घंटेके भीतर उनसे रेफरल फॉर्म प्राप्त करना आवश्यक है। यदि किसी रोगी को आपातस्थिति में उपचार दिया जाता है, तो लागू शुल्क केवल पैकेज दर सहित अनुमोदित दरों के अनुसार होगा जहां भी लागू हो और आपातस्थिति के कारण कोई आपातकालीन शुल्क या कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। Notwithstanding anything contained in this agreement, in case of emergency, the Second Party shall not refuse diagnostic facilities or demand advance from the CHSS beneficiary, but should provide the diagnostic facility as in the usual course for the concerned patient as per the approved rates, if any. The Second Party is required to

inform the Authorized Medical Officer by E-mail / FAX and obtain Referral form from him/her within 24 hours. If any diagnostic facility for any patient is taken up in emergency, charges applicable will be as per the approved rates only.

5.0 समाप्ति TERMINATION

- 5.1** इस करार को दोनों में से किसी भी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को 30 दिनों की नोटिस की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। This agreement can be terminated by either of the party by giving 30 days' notice in writing to the other party.
- 5.2** हालाँकि, प्रथम पार्टी, करार के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल प्रभाव के बिना किसी अन्य उपाय के लिए, द्वितीय पार्टी को लिखित नोटिस देकर करार को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकती है: However, the First Party may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by written notice to the Second Party may terminate the Agreement in whole or part:
- a. यदि द्वितीय पार्टी करार के अधीन अपने किसी दायित्व(दायित्वों) को निभाने में विफल रहती है। If the Second Party fails to perform any of its obligation(s) under the Agreement.
 - b. प्रथम पार्टी के संज्ञान में यदि द्वितीय पार्टी करार को निष्पादित करने अथवा उक्त संविदा को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी की रीतियों में शामिल होती है। If the Second Party in the judgment of the First Party has indulged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the Agreement.
 - c. यदि द्वितीय पार्टी के द्वारा करार के किसी प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में, जैसे कि (परंतु यहीं तक सीमित नहीं), सेवा प्रदान करने से मना करना, पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने से मना करना तथा प्रथम पार्टी के लाभार्थियों से सीधे प्रभारों/शुल्क को वसूल करना, अधूरी या दोषपूर्ण सेवा, अधिक बिलिंग और उपचार में लापरवाही बरतना। In case of any violation of the provisions of the Agreement by the Second Party

such as (but not limited to), refusal of service, refusal of credit facilities to eligible beneficiaries and direct charging from the Beneficiaries of the First Party, deficient or defective service, over billing and negligence in diagnostic facilities.

- 5.3** यदि द्वितीय पार्टी किसी अनैतिक, अवैध या गैर-कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित या जुड़ी हुई पाई जाता है तो, करार को प्रथम पार्टी द्वारा बिना किसी सूचना के सारांशतः निलंबित कर दिया जाएगा तथा उसके पश्चात कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर प्राप्त उसके उत्तर, यदि कोई हो तो, उस पर विचार करने के बाद करार को समाप्त किया जा सकता है। If the Second Party is found to be involved in or associated with any unethical, illegal or unlawful activities, the Agreement will be summarily suspended without any notice by the First Party and thereafter may terminate the Agreement, after giving a show cause notice and considering its reply if any, received within 10 days of the receipt of show cause notice.

6.0 क्षतिपूर्ति INDEMNITY

द्वितीय पार्टी हर समय, इस करार के अंतर्गत प्रथम पार्टी को अपने निष्पादन या उससे जुड़े सेवाओं के संबंध में द्वितीय पार्टी द्वारा किए गए दावों को किसी भी कार्य के संबंध में उसके समक्ष लाए गए या लाए जाने वाले सभी कृत्यों, मुकदमों, दावों एवं मांगों के खिलाफ प्रथम पार्टी को क्षतिपूर्ति देना होगा तथादेते रहना होगा, प्रथम पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार या बाध्यकारी नहीं ठहराया जाएगा। The Second Party shall at all times, indemnify and keep indemnified the First Party against all actions, suits, claims and demands brought or made against it in respect of anything done or purported to be done by the Second Party in execution of or in connection with the services under this Agreement will not hold the First Party responsible or obligated.

7.0 भुगतान PAYMENT

सभी आवश्यक और समर्थन दस्तावेजों के साथ बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के अंदर द्वितीय पार्टी को भुगतान किया जाएगा। कार्य प्रदान किए जाने पर पार्टी द्वारा खाते का विवरण साझा किया जाएगा। The payment will be made to the Second Party within a period of 60 days from the date of submission of the bill accompanied with all necessary and supporting documents. Remittance by the First Party will be made into the Bank Account details shared by the Second Party.

8.0 अवधि DURATION

यह करार तीन (03) वर्षों तक या संशोधित होने तक या रद्द होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से इसकरार को अधिक अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। The Agreement shall remain in force for a period of three (03) years or till it is modified or revoked, whichever is earlier. The Agreement may be extended for a further period with mutual consent of the Parties.

9.0 मध्यस्थता ARBITRATION

9.1 यदि इसकरार से कोई विवाद/अंतर उत्पन्न होता है, तो पार्टियां इस समझौता ज्ञापन / संविदा / अनुबंध या किसी भी नियम और शर्तों या नियमों और शर्तों के भाग की व्याख्या संबंधी सभी विवादों को आपसी बातचीत / चर्चाओं द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगी/करेगी। ऐसान करने पर विवाद को विवाद के समय दोनों पक्षों की आपसी सहमति के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति के एकल मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। If any dispute/ difference arising out of this Agreement the parties shall use their best efforts to settle all disputes amicably arising out of or in connection with this MoU / contract or its interpretation of any of the term and conditions or part of the terms and conditions of the MoU / contract by mutual negotiations / discussions, failing which the dispute shall be referred to the sole Arbitration of the person appointed through mutual consent of both the parties at the time of dispute.

10.0 विविध MISCELLANEOUS

10.1 इस करार के अंतर्गत किसी भी बात को प्रथम पार्टी एवं द्वितीय पार्टी के बीच कोई स्वामी एवं अधीनस्थ या प्रमुख एवं एजेंट का कोई अधिकार या संबंध स्थापित या बनाया नहीं जाएगा। Nothing under this Agreement shall be construed as establishing or creating any right or any relationship of Master and Servant or Principal and Agent between the First Party and the Second Party.

10.2 द्वितीय पार्टी स्थिति, नाम में परिवर्तन आदि के संबंध में किसी भी परिवर्तन, यथामामला, यदि इस प्रकार के परिवर्तन, इस करार के अंतर्गत द्वितीय पार्टी के दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित करते हों, तो उसकी सूचना प्रथम पार्टी को दी जाएगी। The Second Party shall notify the First Party of any change as to the status, change of name etc. as the case may be, if such change would have an impact on the performance of obligation of the Second

10.3 इस करार को दोनों पार्टियों के केवल लिखित एवं हस्ताक्षरित अनुबंध द्वारा ही संशोधित या परिवर्तित किया जा सकेगा। This Agreement can be modified or altered only on written agreement signed by both the parties.

10.4 यदि द्वितीय पार्टी समाप्त या विघटित या दिवालिया हो जाती है, तो प्रथम पार्टी करार को समाप्त करने का अधिकार होगा। करार की समाप्ति से द्वितीय पार्टी अथवा उसकी उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती, नियुक्त कानूनी प्रतिनिधियों को करार के अंतर्गत द्वितीय पार्टी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में देयता से मुक्त नहीं करेगा। If the Second Party is wound up or dissolved or become insolvent, the First Party shall have the right to terminate the Agreement. The termination of Agreement shall not relieve the Second Party or their heirs, successors, assigns and legal representatives from the liability in respect of the services provided by the Second Party under the Agreement.

10.5 द्वितीय पार्टी, करार के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपने दायित्वों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, प्रथम पार्टी की पूर्व लिखित सहमति के अपवाद के, अपने विवेकानुसार और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें प्रथम पार्टी उचित समझे, किसी को नहीं सौंपेगी। तथापि, ऐसा कोई भी कृत्य द्वितीय पार्टी को इस करार के तहत उसके देयता या बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगा। The Second Party shall not assign, in whole or in part, its obligations to perform under the agreement, except with the prior written consent of the First Party at its sole discretions and on such terms and conditions as deemed fit by the First Party. However, any such assignment shall not relieve the Second Party from its liability or obligation under this agreement.

11.0 सूचनाएंNOTICES

11.1 इस करार के अंतर्गत एक पार्टी से दूसरी पार्टी को दिया गया कोई भी नोटिस /सूचना लिखित में स्पीड पोस्ट से अथवा अनुलिपि में, अथवा ई-मेल से प्रेषित किया जाएगा तथा मूल प्रति से पुष्टि के लिए डाक के माध्यम से दूसरी पार्टी को निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जाएगा। Any notice given by one party to the other pursuant to this Agreement shall be sent to other party in writing by Speed Post or by facsimile and confirmed by original copy by post to the other Party's address as below.

चिकित्सा अधीक्षक /चिकित्सा प्रभारी अधिकारी Medical Superintendent / MOIC

रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र का नाम सहित पता : Name of the Radiological Diagnostic Centre with address:

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

की उपस्थिति में पार्टियोंनेइस करार परहस्ताक्षरकिएहैंऔरऊपरउल्लिखितदिन, महीनेऔरवर्षकोनिष्पादितकियाहै।IN WITNESSES WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be signed and executed on the day, month and the year first above mentioned.

द्वारा हस्ताक्षर
Signed by

एनपीसीआईएल इकाई के उप महाप्रबंधक/ वरिष्ठ प्रबंधक(मा.सं.)/ प्रबंधक(मा.सं.) एवं मुहर (प्रथम पार्टी)
DGM(HR)/Sr. Manager (HR)/Manager (HR) of NPCIL Unit &Seal(First Party)

की उपस्थिति में(साक्षी)
In the Presence of
(Witnesses)

1.

2.

द्वारा हस्ताक्षर
Signed by

कृते एवं वास्ते (रेडियोलॉजिकल नैदानिक केंद्र का नाम)

For and on behalf of (Name of the Radiological Diagnostic
Centre.....)